BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1145/2024

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHOUDHARY **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. **...RESPONDENTS**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 2 & 3, along with supporting Affidavit.	1-11
2.	**Annexure R/1:** A True Copy of show cause notice dated 08.01.2025.	12
3.	**Annexure R/2:** A True Copy of reply dated 10.01.2025 to the notice.	13-18
4.	**Annexure R/3:** A True Copy of complaint lodged by Mr. Vijay Sharma on 10.01.2025at Police Station, Kekri Sadar, Kekri.	19-20
5.	**Annexure R/4 (Colly):** A True Copy of letter dated 11.02.2025 and Inspection report dated 27.02.2025.	21-22
6.	**Annexure R/5:** A True Copy of order dated 20.02.2025.	23-24
7.	**Annexure R/6 (Colly):** A True Copy of letter dated 27.02.2025 and letter dated 25.03.2025.	25-26
8.	**Annexure R/7:** A True Copy of letter dated 21.04.2025.	27
9.	**Annexure R/8:** A True Copy of letter dated 14.08.2025 & 16-09-2025**(Colly)**.	28-30

(जय. के. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

10.	**Annexure R/9 (Colly):** A True Copy of Reply submitted by the Project Proponent dated 03.09.2025 and site inspection report dated 03.09.2025.	31-33
11.	**Annexure R/10 (Colly):** A True Copy of photographs of the Khari River, Kekri dated 28.08.2025 and 05.09.2025.	34-38
12.	**Annexure R/11 (Colly):** A True Copy of site inspection report dated 08.02.2024, 09.02.2024, 26.08.2025	39-49
13.	**Annexure R/12:** A True Copy of site inspection report dated 04.09.2025	50-52
14.	**Annexure R/13:** A True Copy of site inspection report dated 23.06.2025 30.06.2025	53-54
15.	Vakalatnama	55

RESPONDENT NO. 2 &3

Place-New Delhi

Date: 30.09.2025

Through

(**J.K. Gurbaxani**)
Superintending Mining Engineer,
Ajmer, Rajasthan
Officer-In-Charge for Respondent No. 2 & 3.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI ORIGINAL APPLICATION NO. 1145/2024

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHOUDHARY **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. **...RESPONDENTS**

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY, RAJASTHAN & 3, DISTRICT MAGISTRATE, KEKRI.

Most Respectfully Showeth:

1. The present Original Application *(hereinafter referred to as* ***'OA')*** has been initiated based on a letter petition dated 27.01.2024, submitted by Neeraj Choudhary, the Sarpanch of Gram Panchayat Gulgaon, Block Sawar, District Kekri, Rajasthan.

2. The complaint alleges that extensive illegal mining and transportation of minerals is taking place along the banks of the Khari River, in blatant violation of environmental rules and regulations.

(जय. के. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

It states that mining lease holders are operating beyond their authorized lease areas and extracting minerals despite inadequate natural replenishment in the riverbed. This activity is reportedly causing significant harm to the local flora, fauna, and river ecosystem. Additionally, the use of heavy machinery for mining and vehicles such as dumper trailers, tractors, and others for transportation is exacerbating the environmental damage.

3. It is humbly submitted that the Answering Respondents reserve their right to prefer a further detailed reply, as and when required and/or directed by this Hon'ble Tribunal.

Submissions on Merits

4. The Hon'ble Tribunal has taken cognizance of the compliant on the basis of said letter petition *vide* order dated 19.11.2024 and constituted a Joint Committee to submit a factual report of the site. The Committee comprises of the following members:
    a. District Magistrate, Kekri;
    b. Rajasthan State Pollution Control Board;
    c. a Senior Scientist of Ministry of Environment Forest and Climate Change; and,
    d. Central Pollution Control Board.

5. The Answering Respondents crave the leave of this Hon'ble Court to rely upon the Joint Committee report dated 18.01.2025.

(जय. के. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

6. It is pertinent to highlight that the Joint Committee carried out a site inspection at the mineral gravel for mining lease no. 5/2013, Tehsil Kekri, District Ajmer on 03.01.2025. During the site inspection, it was found that the flow of water of the Khari river has been obstructed by putting stones in the river flow area near Gulgaon in the said mining lease area which was in violation of the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016, and the Enforcement & Monitoring Guidelines, 2020. Accordingly, a 30 days show causenotice dated 08.01.2025 was issued to the lessee of mining lease no.5/2013 *(hereinafter referred to as* ***'Lessee')***on 08.01.2025 by Office of the Assistant Mining Engineer, Sawar*(hereinafter referred to as* ***'AME Office')***.A True Copy of show cause notice dated 08.01.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/1**.
7. On 13.01.2025, the Lessee sent a reply to the said notice stating that "these stones were present in the river area before the mining lease came into effect i.e., before 31.03.2023. Further, it was stated that in the satellite image of December 2022 attached with the said reply, it is clearly visible that these stones were dumped in the river area at least 3 months before the mining lease came into effect. Another satellite image which is of February 2022, in which these stones are not visible in the river area.

(जय. क. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

From which it is clear that the illegal miners dumped stones in the river area between February 2022 and December 2022, in which there is no involvement of the Lessee."Moreover, the Lessee stated that a complaint has been lodged by Mr. Vijay Sharma, a representative of the Project Proponent at Police Station, Kekri Sadar, Kekri against unknown people regarding dumping of stones in the river area. A True Copy of reply dated 10.01.2025 to the notice is annexed herewith and marked as **Annexure R/2**. A True Copy of complaint lodged by the Mr. Vijay Sharma on 10.01.2025at Police Station, Kekri Sadar, Kekri is annexed herewith and marked as **Annexure R/3**.

8. Upon receiving the reply of the lessee, the office of the Assistant Mining Engineer, Sawar verified the reply *vide* letter no. 394 dated 11.02.2025 by the technical staff. The technical staff of the AME Office has verified the said reply stating that "these stones are clearly visible in the satellite image of December 2022 and other satellite images which are of February 2022, in which these stones are not visible in the river area." Hence, the facts given by the Lessee in his reply are true and correct according to the site inspection dated 27.02.2025. A True Copy of letter dated 11.02.2025 and Inspection report dated 27.02.2025 are annexed herewith and marked as **Annexure R/4 (Colly)**.

(जय. के. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

9. Keeping in view the need to safeguard the environment, the Answering Respondents are actively taking measures to curb illegal mining in the concerned area. It is pertinent to highlight that pursuant to Government Order No. 8 (22) Khan/Group-2/2013 dated 23.06.2021 and Directorate Order No. 639-54 dated 06.07.2021, check posts have been set up under Rule 60 of the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017 on key roads and illegal export routes of bajri. Shri Satish Singh Chauhan, Mining Executive-I, has been appointed as in-charge, with Border Home Guard personnel deployed for preventing illegal transportation of mineral gravel. A True Copy of order dated 20.02.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/5**.

10. Moreover, the Respondent No. 2 has sent a letter dated 27.02.2025 to the Lessee for installation of demarcation pillars. Further, a letter dated 25.03.2025 was issued to the Tehsildar, Kekri for removal of encroachments in the river flow area. A True Copy of letter dated 27.02.2025 and letter dated 25.03.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/6 (Colly)**.

11. On 21.04.2025, a reminder letter dated 21.04.2025 has been sent to the Lesse by the Respondent No. 2 for installation of demarcation pillars in the above-mentioned mining lease area and to file a report of the work done. A True Copy of letter dated 21.04.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/7**.

(जय. के. गुरूबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

12.It is pertinent to hight that to effectively prevent illegal mining, export, and storage, the State Government has constituted Special Investigation Teams (SITs), headed by the District Collector at the district level and the Sub-Divisional Officer at the sub-division level. These committees comprise representatives from the Mines, Forest, Police, Transport, and Revenue Departments. Joint operations are undertaken by all these departments, in addition to independent action by this department, to ensure strict prevention of illegal mining, export, and storage activities. Hence, continuous strict action has been taken against illegal gravel mining and full efforts have been made to stop illegal mining by the Answering Respondents in the Tehsil Kekri. The year-wise details pertaining to action taken in Tehsil Kekri against illegal mining/export/storage of mineral gravel are as follows-

Table 1.1: Action Taken by the Answering Respondent

Year	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 *(till 31.08.2025)*
Cases of Illegal Transportation	31	25	32	10
Cases of Illegal Storage	1	2	5	15
Cases of Illegal Mining	1	0	1	2
Total	**33**	**27**	**38**	**41**
Total Amount Recovered (Rs.)	52,98,050/-	42,18,700/-	75,62,850/-	55,69,100/-
FIR	3	1	2	4
Seized Vehicle	31	29	33	22

(जय. के. गुरूबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

13.It is pertinent to highlight that the Respondent No. 2 has directed the lessee *vide* office letter no. 201 dated 14.08.2025making refrence of letter dated 08.01.2025(show cause notice of 30 days), to remove the stones that had been placed in the river flow area near village Gulgaon within the mining lease area, as they were obstructing the natural flow of water. In response to the said letter, the lessee submitted a reply to Respondent No. 2 on 03.09.2025 stating that the waste marble has been removed from mining lease area and pillars have also been installed after demarcating the mining lease area. Further, the pillars which have broken due to high water inflow in the river will be reinstalled when the water flow reduces. The AME Office conducted the site inspection on 03.09.2025 and submitted a spot report confirming compliances made by the lessee, thereby ensuring that the river's natural flow continues without obstruction also since lessee failed to comply with the notice within stipulated period a penalty of Rs. 15000 has been imposed against the lessee under Rule 28 of the RMMCR, 2017 by the SME Office Ajmer vide letter dated 16-09-2025. A True Copy of letter dated 14-08.2025 and 16-09-2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/8(Colly)**. A True Copy of Reply submitted by the Project Proponent dated 03.09.2025 and site inspection report dated 03.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/9 (Colly).** A True Copy of photographs of the Khari river, Kekri dated 28.08.2025 and 05.09.2025 are annexed herewith and marked as **Annexure R/10(Colly).**

(जय. के. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

14.It is pertinent to highlight that the AME office conducted a site inspection on 08.02.2024, 09.02.2024, 26.08.2025 and submitted a report in accordance with the points raised by Neeraj Choudhary in his letter dated 27.01.2024 which highlights that no illegal mining has been going on near Khari River, during inspection pits of depth 1-1.5 and 1.5-2.5 meters were seen in the approved mining lease area in the favor of Mr. Bharat Singh Shekawat (Mining Lease No. 5/2013) and no pits of depth more that the prescribed limits were found also no vehicles or machines were found in the area. A True Copy of site inspection report dated 08.02.2024, 09.02.2024, 26.08.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/11 (Colly)**.

15. It is further submitted that the allegation made by Applicant regarding charges of Rs. 600 being illegal, during site inspection conducted by AME office dated 04.09.2025 it was found that the charge of Rs. 600 per ton is reasonable and the total expenditure is in approximately 350-400 Rupees which includes stocking from the river areas at the TP point and the, weighing fee, filling fees and the government prescribed charges (royalty fees, DMFT and RSMET) and export the mineral gravel by earning the profit of Rs. 150-200 and this profit included labour expenses and GST as per the report dated 04.09.2025.

(जय. के. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

Representatives of the mining lease holders further informed that currently trees have been planted in government schools, public places and pasture land of the villages like Jaswantpur, Aaloli, Sawar, Mehrukala etc and they are also taken care of from time to time and during inspection inspection tress were found to be planted at the place indicated. A True Copy of site inspection report dated 04.09.2025 is annexed herewith and marked as Annexure R/12.

16. It is submitted that AME office conducted an inspection on 23.06.2025 and 30.06.2025 during which some vehicles loaded with mineral gravel were stopped and checked, it was found that vehicles were being exported only after cutting Transit Pass from the Transit Pass point of mining lease 05/2013 issued in favour of Bharat Singh Shekhawat and no vehicle was found to be overloaded. A True Copy of site inspection report dated 23.06.2025 30.06.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/13 (Colly)**.

17. In addition to the action taken as per the statements in the foregoing paragraph, the Answering Respondents undertake to comply with each and every order of this Hon'ble court in its true spirit with best of its capacity at its earliest.

RESPONDENT NO. 2 &3

Place-New Delhi
Date: 30.09.2025

Through

(J.K. Gurbaxani)
Superintending Mining Engineer,
Ajmer, Rajasthan
Officer-In-Charge for Respondent No. 2 & 3.

B.S. SHEKHAWAT NOTARY PUBLIC 20/96-316 Govt. of Rajasthan

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNALPRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1145/2024

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHOUDHARY ...**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. ...**RESPONDENTS**

AFFIDAVIT

I, **Mr. J.K. Gurbaxani**, S/o G.R. Gurbaxani, aged about 56 years, at present, working as Superintending Mining Engineer, Ajmer, Rajasthan solemnly swear and affirm on as under:-

1. That I am the Officer in Charge (OIC) in the above captioned matter for the Director Mining and Geology, Rajasthan (Respondent No. 2) and District Magistrate, Kekri (Respondent No. 3). I am well conversant with the facts and circumstances of the case.

B.S. SHEKHAWAT NOTARY PUBLIC 20/96-316 Govt. of Rajasthan

6/8/25

2. I state that I have read and understood the contents of the accompanying Reply which has been drafted by my counsel under my instructions and the same has been explained to me. I say that the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.

3. That the submissions made therein are believed to be true and nothing material has been concealed therefrom.

Notary Public
Ajmer

4. I say that Annexures, in the instant Reply, are the true and correct copy, true and typed copy and true and translated copy of the original.

6|8|25

DEPONENT

VERIFICATION

B.S. SHEKHAWAT NOTARY PUBLIC 20/96-316 Govt. of Rajasthan

I, the Deponent above named do hereby solemnly affirm that contents of Paragraphs no. 1 to 4 of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Ajmer on this day 05th of September 2025.

6|8|25

Sworn Before me

Notary Public, AJMER

6|9|25

DEPONENT

Annexure R/1

<u>जरिये ई–मेल/पंजीकृत डाक</u> **12**

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

खनिज–भवन,बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)Email:- ame.sawar@rajasthan.gon.in

क्रमांकः–सखअ/सावर/(खप 5/2013)बजरी–केकडी/355 **दिनांकः– 08/01/2025**

प्रेषिति :–

श्री भरत सिंह शेखावत पुत्र श्री शिव दयाल सिंह शेखावत,
निवासी– 336 मोहन नगर बी.जे.एस. कॉलोनी,
जोधपुर। (Email- bharatsinghmine2014@gmail.com)

विषयः– आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 5/2013 श्री भरत सिंह शेखावत वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी जिला अजमेर के खनन पट्टा क्षेत्र में पत्थर डालकर बनाये गये रास्ते के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 5/2013 वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी जिला अजमेर का दिनांक 03.01.2025 को माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच, दिल्ली के प्र.क.– 1145/2024 के आदेश दिनांक 19.11.2024 की अनुपालना में गठित कमेठी द्वारा दिनांक– 03 जनवरी, 2025 को खनन पट्टा संख्या 5/2013 वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर का निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके खनन पट्टा क्षेत्र में निकट ग्राम गुलगावं में नदी के बहाव क्षेत्र में पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोका गया है। जो Sustainable Sand Mining Management Guideline-2016, Enforcement & Monitoring Guideline for Sand Mining-2020 व संविदा/स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है।

अतः आपको जरिये इस चेतना–पत्र सूचित किया जाता है कि प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करे। बाद समयावधि, उल्लघंनों के संबंध में आपके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहे। इस नोटिस का पूर्व में जारी किसी नोटिस की क्रियान्विती पर कोई प्रभाव नही पडेगा। सो सूचित रहे।

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियंता
सावर

क्रमांकः समसंख्यक/356–357 दिनांकः– 08/01/2025

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भोपाल (मध्यप्रदेश) को जरिये ई–मेल– cpcb.bhopal@gmail.com प्रेषित है।
2. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किशनगढ़ (राजस्थान) को जरिये ई–मेल– rorpcb.kishangarh@gmail.com प्रेषित है।

08/01/2025

सहायक खनि अभियन्ता
सावर

o/c Babu

Annexure R/2

13

BHARAT SINGH

Put up with file
Dhy 13/01/25

सेवामें,

दिनांक : 10.01.2025

श्रीमान सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भूविज्ञान विभाग
सावर

विषय :– तहसील केकडी जिला अजमेर स्वीकृत खनिज बजरी का खनन पट्टा संख्या 05/2013 के नदी क्षेत्र में पडे बडे–बडे पत्थरों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक सखअ/सावर/(खप 5/2013)बजरी–केकडी/ 355 दिनांक 08.01.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत व सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला अजमेर की तहसील केकडी, क्षेत्रफल 1025.70 हैक्टर का खनिज बजरी का खनन पट्टा मुझ प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत है एवं वर्तमान में प्रभावी है। महोदय, उक्त खनन पट्टे का संविदा निष्पादन दिनांक 30.03.2023 एवं पंजीयन दिनांक 31.03.2023 को किया गया। अतः दिनांक 31.03.2023 से खनन पट्टा प्रभावी हुआ।

महोदय, खनन पट्टे का दिनांक 03.01.2025 को माननीय एन.जी.टी. टीम के अधिकारी एवं खनिज विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान नदी क्षेत्र में बडे–बडे पत्थर पडे हुये मिले। जो कि संभवतया अवैध खनन कर्ताओं द्वारा लीज शुरू होने से पूर्व अवैध परिवहन हेतु रास्ता बनाने के लिये डाले गये हों। महोदय, लीज क्षेत्र विस्तृत होने के कारण यह पत्थर हमारे संज्ञान में भी निरीक्षण के दौरान ही आये।

महोदय, आप द्वारा नोटिस में दर्शाई गई शिकायत के सन्दर्भ में आपको सूचित करना चाहूंगा कि यह पत्थर खनन पट्टा प्रभावी होने से पूर्व अर्थात 31.03.2023 से पूर्व ही नदी क्षेत्र में मौजूद थे। सैटेलाईट इमेज माह दिसम्बर 2022 (संलग्न–1) में यह पत्थर साफ प्रदर्शित हो रहे हैं कि यानी खनन पट्टा प्रभावी होने से कम से कम 3 माह पहले से यह पत्थर नदी क्षेत्र में डाले गये थे। एक अन्य सैटेलाईट इमेज जो फरवरी 2022 (संलग्न–2) की है, जिसमें यह पत्थर नदी क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवैध खनन कर्ताओं द्वारा फरवरी 2022 से दिसम्बर 2022 के मध्य में नदी क्षेत्र में पत्थर डाले गये, जिसमें मुझ प्रार्थी की किसी भी प्रकार की संलिप्तता संभव नहीं है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की कमेटी के दिशानिर्देशानुसार मेरे द्वारा पुलिस थाना, केकडी सदर, केकडी में अज्ञात लोगों के खिलाफ नदी क्षेत्र में पत्थर डालने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करवाई गई है (संलग्न–3)।

महोदय, चूंकि मेरे द्वारा सैटेलाईट मानचित्र प्रस्तुत कर यह प्रमाणित कर दिया गया है कि लीज क्षेत्र में पत्थर संविदा निष्पादन एवं मुझे कब्जा दिलवाये जाने से पूर्व ही मौजूद थे, जिसकी

38
13-1-25

BHARAT SINGH

सूचना कब्जा देने से पूर्व हमको प्रेषित नहीं की गई थी। अतः महोदय से निवेदन है कि कृपया कर नोटिस की कार्यवाही समाप्त करावें एवं पुलिस विभाग के साथ मिलकर पत्थर डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर, नदी क्षेत्र से पत्थर हटवाने की कृपा करें, ताकि पानी का बहाव अवरूद्ध नहीं हो सके व वैध खनन में रूकावट नहीं आ सके।

सधन्यवाद

भवदीय

प्रतिनिधी
बजरी खनन पट्टा धारक
तहसील केकडी जिला अजमेर

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

GPS Map Camera
अजमेर, राजस्थान, भारत
नाम-रहित सड़क, राजस्थान 305407, भारत, अजमेर, राजस्थान 305407, भारत
Lat 25.821225° Long 75.203653°
10/01/2025 02:46 PM GMT +05:30
oogle

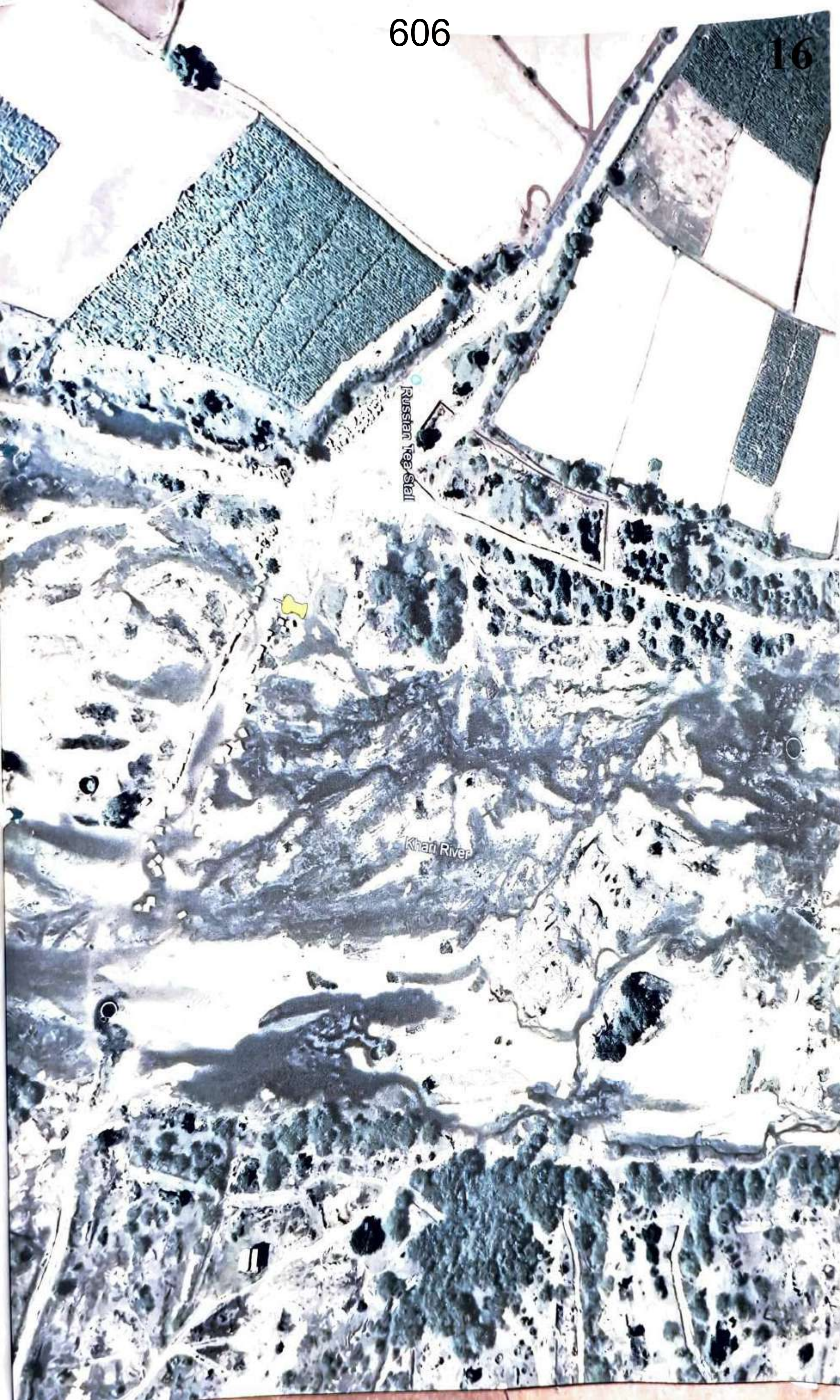
16
Russian Tea Stall
Khari River

Khari River

18

View Complaint
(शिकायत देखें)

1. **Complaint No. (शिकायत सं)**15410442500014
   Date of Complaint (शिकायत की 10/01/2025

   District (जिला)केकड़ी
   Police Station (थाना)केकड़ी सदर

2. **Details of the complainant (शिकायतकर्ता का विवरण):**
   a) **Name (नाम)**VIJAY SHARMA
   b) **Relative name (संबंधी का नाम)**JAGDISH PRASAD SHARMA
   c) **UID No. (यूआईडी**
   d) **Nature of Complaint (शिकायत का** व्यक्ति के विरुद्ध
   e) **Landline No. (लैंडलाइन**
   f) **Mobile No. (मोबाइल** 91-9887197810
   g) **Email ID (ईमेल**
   h) **Address (पता)**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	HARMADA,हरमाडा,जयपुर (पश्चिम),राजस्थान,भारत
2	Permanent Address	HARMADA,हरमाडा,जयपुर (पश्चिम),राजस्थान,भारत

3. **Identification Details of the complainant (शिकायतकर्ता का पहचान विवरण)**
   a) **Country of Nationality (राष्ट्रीयता हेतु**

S.No. (क्र.सं.)	Identification Type (पहचान प्रकार)	Identification No. (पहचान सं)

4. **Details of Accused (अभियुक्त का विवरण)**
   (1 a) **Name of Accused (अभियुक्त का** AGYAT BAJRI MAFIYA
   b) **Mobile No. (मोबाइल**
   c) **Landline No. (लैंडलाइन**
   d) **Address (पता)**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	NAMALUM,केकड़ी सदर,केकड़ी,राजस्थान,भारत
2	Permanent Address	NAMALUM,केकड़ी सदर,केकड़ी,राजस्थान,भारत

5. **Incident Details (घटना का विवरण)**
   a) **Place of Incident (घटना का** GULGAON PS KEKRI SADAR
   b) **Type of Incident (घटना का** परिवादी ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की दिनांक 03/01/2025 को माननीय एन.जी.टी टीम के अधिकारी एवं खनिज विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा लीज क्षेत्र नदी में जाकर लीज शुरु होने से पहले जाकर चैकिंग की गई तो पता चला कि नदी के रास्ते में अवैध बजरी माफिया द्वारा अवैध परिवहन हेतू रास्ते मे पत्थर डाल रखे है जिसकी मौके पर हमने फोटोग्राफ भी खिंच रखे है बजरी माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जावें ईत्यादी ।
   c) **Is Date/time of incident known (क्या घटना की दिनांक / समय** नहीं
   d) **Date & Time of Incident (घटना की दिनांक और समय):**
   From **To**

6. **Complaint Details (शिकायत विवरण)**
   a) **Date of Complaint (शिकायत की** 10/01/2025
   b) **Mode of Receipt (प्राप्ति की** व्यक्ति द्वारा
   c) **Complaint Description (शिकायत** शिकायत का पुर्ण विवरण पीडीएफ के साथ संलग्न है ।,
   d) **Remarks** परिवादी ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की दिनांक 03/01/2025 को माननीय एन.जी.टी टीम के अधिकारी एवं खनिज विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा लीज क्षेत्र नदी में जाकर लीज शुरु होने से पहले जाकर चैकिंग की गई तो पता चला कि नदी के रास्ते में अवैध बजरी माफिया द्वारा अवैध परिवहन हेतू रास्ते मे पत्थर डाल रखे है जिसकी मौके पर हमने फोटोग्राफ भी खिंच रखे है बजरी माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जावें ईत्यादी ।

Scanned with OKEN Scanner

e) Uploaded Document (अपलोड किए गए दस्तावेज)

S.No. (क.सं.)	File Name (फ़ाइल का नाम)	Description (विवरण)
1	111.pdf	मूल तहरीर

7. Enquiry Details (पूछताछ विवरण)

(1) a) Enquiry Details (पूछताछ विवरण):

b) Date of Enquiry (पूछताछ की

c) Remarks (टिप्पणियाँ):

d) Uploaded Enquiry Report (अपलोड की गई पूछताछ की रिपोर्ट)

S.No. (क्र.सं.)	File Name (फ़ाइल का नाम)	Description (विवरण)

8. Linking and Delinking Details (लिंकिंग और डीलिंकिंग विवरण)

a) Whether Complaint linked to any other complaint (Yes /No) (शिकायत किसी अन्य शिकायत से जुडा हुआ है कि नहीं

S.No. (क्र.सं.)	Complaint No. (शिकायत सं):

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की 10/01/2025 17:46

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट Bhanwar Lal

Signature (हस्ताक्षर) :

Name (नाम) :

Rank (पद) उपनिरीक्षक/ सहायक निरीक्षक

No. (सं.)

थानाधिकारी
पुलिस थाना केकड़ी सदर
जिला-केकड़ी

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

Email - ame.sawar@rajasthan.gov.in

क्रमांक–सखअ / सावर / 2024–25 / 394 दिनांकः– 11/02/2025

प्रेषिति :–

श्री सतीश चौहान,
वरिष्ठ खनिकार्यदेशक, कार्यालय हाजा।

विषयः– खनन पट्टा संख्या 05 / 2013, वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी जिला केकडी में खनन पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत जवाब का सत्यापन किये जाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है खनन पट्टा संख्या 5 / 2013 वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी जिला अजमेर का दिनांक 03.01.2025 को माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच, दिल्ली के प्र.क.– 1145 / 2024 के आदेश दिनांक 19.11.2024 की अनुपालना में गठित कमेठी द्वारा दिनांक– 03 जनवरी, 2025 को खनन पट्टा संख्या 5 / 2013 वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर का निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके खनन पट्टा क्षेत्र में निकट ग्राम गुलगावं में नदी के बहाव क्षेत्र में पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोका गया है। जो **Sustainable Sand Mining Management Guideline-2016, Enforcement & Monitoring Guideline for Sand Mining-2020** व संविदा / स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन के सम्बंध में पट्टेधारी को चेतना पत्र दिनांक 08.01.2025 जारी किया गया।(प्रति संलग्न) जिसकी पालना में पट्टाधारी द्वारा दिनांक 13.01.2025 को जवाब कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। अतः पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब (प्रति संलग्न) का सत्यापन पट्टाधारी / प्रतिनिधी की उपस्थिति में किया जाकर रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करे। ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान सरकार

ce (प्रवर्तन) 27/2/25

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग
लावट (अजमेर)

मौका जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 25/2/2025 को कार्यालय आदेश क्रमांक स.ख.अ./लावट/2024-25/394 दिनांक 11/2/2025 कि पालना में खनन पट्टा संख्या 05/2013 वास्ते खनिज बजरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में खनन पट्टाधारक द्वारा प्राप्त जवाब का सत्यापन करने मौके पर पहुँचा, मौके पर खनन पट्टाधारक श्री भरत सिंह शेखावत के प्रतिनिधि श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी हरमाड़ा जयपुर उपस्थित रहे, मौके पर Google earth pro से वर्ष माह दिसम्बर 2022 की सेटेलाईट इमेज देखी गई तो इमेज में पत्थर ब्लाक नदी (खातेदारी) में बने कच्चे रास्ते के दोनों ओर किनारे पर ~~[illegible]~~ पंक्ति के रूप में दिखाई देते है। माह फरवरी 2022 की इमेज में दिखाई नहीं दे रहे। आज दिनांक 25/2/2025 एवं दिनांक 03/01/2025 को माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित डीम है एवं खनिज विभाग द्वारा मौका देखा जाता तो सेटेलाईट माह दिसम्बर 2022 कि इमेज से बहुत अधिक मात्रा में पत्थर ब्लाक/छोटे पत्थर डालकर रास्ता बनाना प्रतीत होता है जो कच्चा रास्ता सेटेलाईट में प्रदर्शित हो रहा था। उसके ऊपर एवं दोनों साईडो में बड़े और छोटे पत्थर डाले गये है, जो आज मौके पर पड़े हुये है। इस बात कि पुष्टि पट्टाधारी के प्रतिवेदन के साथ लगी दिनांक 10/01/2025 समय 2:46 PM पर खींची गई फोटो ग्राफ से होती है। रिपोर्ट श्रीमान कि सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश है।

(हस्ताक्षर)
विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश
प्रतिनिधि
भरत सिंह शेखावत
ML no. 5/13

151
27-2-25

(हस्ताक्षर)
([illegible])
SMF
लावट

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

खनिज–भवन, बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर, जिला केकडी (राजस्थान)

क्रमांक–सखअ / सावर / स्थापना / 2024–25 / 155 दिनांकः– 20 / 02 / 2025

–: कार्यालय आदेश :–

शासन के आदेश कमांक प.8(22)खान / ग्रुप–2 / 2013 दिनांक 23.06.2021 के कमं में निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के आदेश कमांक 639–54 दिनांक 06.07.2021 द्वारा राज्य में नदियों से खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन की रोकथाम हेतु लीज क्षेत्रों से निकलने वाले मुख्य मार्गो तथा लिंक सडको पर व खनिज बजरी के अवैध निर्गमन मार्गो पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017, के नियम 60 के तहत उपर्युक्त स्थान पर चैक पोस्ट स्थापित कर उन पर विभागीय कार्मिक, पुलिस कार्मिक व एल.ओ.आई. धाकर के कार्मिक तैनात करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

अतः शासन एवं निदेशालय के आदेशों की पालना में कार्यालय क्षेत्राधिकार में चैक पोस्ट स्थापित कर **श्री सतीश सिंह चौहान, खनिकार्यदेशक–प्रथम को प्रभारी नियुक्त** करते हुए इस कार्यालय में नियुक्त सीमा गृह रक्षा दल के सदस्यों को खनिज बजरी के अवैध निर्गमन की चैकिंग किये जाने हेतु निंम्नानुसार चैक पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है–

क.स.	नाम	पद	चैक पोस्ट
1	श्री हनुमान सिंह	GM 249	श्री परशुराम सर्कल चैराहा, तहसील केकडी
2	श्री उम्मेद सिंह	GM 167	
3	श्री ओंकार सिंह	GM158	
4	श्री नत्थूराम सिंह	GM 184	मोलकिया (केकडी–बोगला रोड पेट्रोल पम्प के सामने) तहसील केकडी
5	श्री जगदीश सिंह	GM 223	
6	श्री कस्तूर सिंह	GM-260	

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता
सावर

क्रमांक–सखअ / सावर / स्थापना / 2024–25 / 156–168 दिनांकः–20 / 02 / 2025

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला अजमेर।
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
3. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकडी, जिला अजमेर।
4. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
5. श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक, केकडी, जिला अजमेर।

112 Estt Current

6. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर–क्षैत्र, जयपुर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, केकडी।
9. श्रीमान तहसीलदार, तहसील केकडी को भेजकर निवेदन है कि उक्त चैक पोस्ट पर खनिज बजरी के अवैध निर्गमन की रोकथाम हेतु संबंधित हल्का पटवारी को नियुक्त किये जाने का श्रम करावे।
10. श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी, केकडी को भेजकर निवेदन है कि उक्त चैक पोस्ट पर खनिज बजरी के अवैध निर्गमन की रोकथाम हेतु संबंधित परिवहन दस्ते को नियुक्त किये जाने को श्रम करावे।
11. पुलिस थाना अधिकारी, केकडी सिटी/केकडी सदर को भेजकर लेख है कि उक्त चैक पोस्ट पर खनिज बजरी के अवैध निर्गमन की रोकथाम हेतु पुलिस कार्मिको को नियुक्त किये जाने का श्रम करावे।
12. श्री सतीश सिंह चौहान, खनिकार्यदेशक–प्रथम, को भेजकर लेख है कि वे समय–समय पर चैक पोस्ट की मॉनिटरिंग करेगें एवं की गई कार्यवाही से कार्यालय को सूचित करे।

सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

खनिज–भवन,बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)Email:- ame.sawar@rajasthan.gon.in

क्रमांकः–सखअ/सावर/(खप 5/2013)बजरी–केकडी/86 **दिनांकः– 27/02/2025**

प्रेषिति :–

श्री भरत सिंह शेखावत पुत्र श्री शिव दयाल सिंह शेखावत,
निवासी– 336 मोहन नगर बी.जे.एस. कॉलोनी,
जोधपुर।

विषयः– आपके पक्ष में स्वीकृत खनिज बजरी के खनन पट्टा संख्या 5/2013 तहसील केकडी जिला अजमेर में पिल्लर स्थापित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है आपके पक्ष में इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 5/2013 वास्ते खनिज बजरी, क्षेत्र 1025.70 हैक्टेयर, तहसील केकड़ी जिला अजमेर का खनन पट्टा क्षेत्र 1025.70 हैक्टेयर का नदी क्षेत्र में पिल्लर स्थापित किया जाना सूनिश्चित करावे।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियंता
सावर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

खनिज–भवन,बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)Email:- ame.sawar@rajasthan.gon.in

क्रमांकः–सखअ/सावर/2024–25/451 दिनांकः–25/03/2025

प्रेषिति :–

श्रीमान तहसीलदार,
तहसील केकडी, जिला अजमेर।

विषयः– खनन पट्टा संख्या 5/2013, श्री भरत सिंह शेखावत वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी जिला अजमेर के खनन पट्टा क्षेत्र में पत्थर/मलबा डालकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 5/2013, वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी, जिला अजमेर का दिनांक 03.01.2025 को माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच, दिल्ली के प्र.क.– 1145/2024 के आदेश दिनांक 19.11.2024 की अनुपालना में गठित कमेटी द्वारा दिनांक– 03 जनवरी, 2025 को खनन पट्टा संख्या 5/2013 वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर का निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में निकट ग्राम गुलगावं में नदी के बहाव क्षेत्र में पत्थर/मलबा डालकर पानी के बहाव को अतिक्रमण करके रोका गया है। इस कार्यालय स्तर से जानकारी करने पर उक्त क्षेत्र में पत्थर डालने वाले की जानकारी नही हो पाई है। अतः उक्त प्रकरण के कम में निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में हल्का पटवारी को नदी क्षेत्र में पत्थर/मलबा डालने वाले की जानकारी प्राप्त कर उक्त पत्थर/मलबा डालकर किया गया अतिक्रमण हटाने का श्रम करावे।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियंता
सावर

क्रमांकः समसंख्यक/452 दिनांकः–25/03/2025

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, केकडी, जिला अजमेर।
2. श्री सतीश सिंह चौहान, हल्का खनिकार्यदेशक, को भेजकर लेख है कि उक्त कार्य हेतु श्रीमान तहसीलदार, केकडी को आवश्यक सहयोग प्रदान करावे।

सहायक खनि अभियन्ता
सावर

जरिये ई–मेल/पंजीकृत डाक

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

खनिज–भवन,बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)Email:- ame.sawar@rajasthan.gon.in

क्रमांकः–सखअ/सावर/(खप 5/2013)बजरी–केकडी/36 दिनांकः– 21/04/2025

प्रेषिति :–

श्री भरत सिंह शेखावत पुत्र श्री शिव दयाल सिंह शेखावत,
निवासी– 336 मोहन नगर बी.जे.एस. कॉलोनी,
जोधपुर।

विषयः– आपके पक्ष में स्वीकृत खनिज बजरी के खनन पट्टा संख्या 5/2013 तहसील केकडी जिला अजमेर में सीमाज्ञान कर पिल्लर स्थापित किये जाने बाबत।

प्रसंगः– आप द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 21.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है आप द्वारा इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 5/2013, वास्ते खनिज बजरी, क्षेत्र 1025.70 हैक्टेयर, तहसील केकडी जिला अजमेर में नदी क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मेहरूकलां, आमली, बालापुरा, देवपुरा, गोठडा, बनेडिया व कादेडा मे खनन पट्टा क्षेत्र सीमाज्ञान हेतु प्रतिवेदन दिनांक 21.04.2025 प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित गांव के अतिरिक्त उक्त खनन पट्टा के सम्पूर्ण क्षेत्र 1025.70 हैक्टेयर का इस कार्यालय के खनिकार्यदेशक व राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सीमाज्ञान किया जाकर, नदी क्षेत्र में आने वाले सम्पूर्ण खनन क्षेत्र में पिल्लर स्थापित किया जाना सूनिश्चित करावे।

साथ ही ज्ञात रहे कि आपे पक्ष में तहसील केकडी जिला अजमेर में खनिज बजरी का खनन पट्टा संख्या 5/2013, के विरूद्ध श्री नीरज चौधरी, सरपंच, ग्राम पंचायत, गुलगांव, पंचायत समिति, सावर, जिला अजमेर द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली परिवाद, ऑरिजिनल एप्लीकेशन नं. 1145/2024, नीरज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दर्ज करवाया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा सम्पूण नदी क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र 1025.70 हैक्टेयर में पिल्लर लगवाये जाने के सम्बंध में पालना रिपोर्ट चाही गई है। अतः उक्त कार्य अग्रिम 7 दिवस में करवाकर पालना सूनिश्चित करे। इसे अति आवश्यक समझे।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियंता
सावर

क्रमांकः समसंख्यक/37-38 दिनांकः– 21/04/2025

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील कार्यालय, सावर/केकडी, जिला अजमेर को दी जाकर निवेदन है कि सम्बंधित हल्का पटवारी को निर्देशित करावें।
2. श्री सतीश सिंह चौहान, खनिकार्यदेशक को भेजकर लेख है कि खनन पट्टा क्षेत्र में राजस्व विभाग व पट्टाधारी/प्रतिनिधि के साथ सम्पूर्ण नदी क्षेत्र का सीमाज्ञान किया जाकर, पिल्लर स्थापित किये जाने हेतु पट्टाधारी/प्रतिनिधि को पाबन्द करावे।

सहायक खनि अभियन्ता
सावर

जरिये ई–मेल / पंजीकृत डाक

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सावर

खनिज–भवन,बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.)Email:- ame.sawar@rajasthan.gon.in

क्रमांकः–सखअ / सावर / (खप 5 / 2013)बजरी–केकडी / 201 दिनांकः– 14 / 08 / 2025

प्रेषिति :–

श्री भरत सिंह शेखावत पुत्र श्री शिव दयाल सिंह शेखावत,
निवासी– 336 मोहन नगर बी.जे.एस. कॉलोनी,
जोधपुर। (Email- bharatsinghmine2014@gmail.com)

विषयः– आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 5 / 2013 श्री भरत सिंह शेखावत वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी जिला अजमेर के खनन पट्टा क्षेत्र में पत्थर डालकर बनाये गये रास्ते के सम्बंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 355 दिनांक 08.01.2025 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 5 / 2013 वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी जिला अजमेर का दिनांक 03.01.2025 को माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच, दिल्ली के प्र.क.– 1145 / 2024 के आदेश दिनांक 19.11.2024 की अनुपालना में गठित कमेठी द्वारा दिनांक– 03 जनवरी, 2025 को खनन पट्टा संख्या 5 / 2013 वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी, जिला अजमेर का निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके खनन पट्टा क्षेत्र में निकट ग्राम गुलगावं में नदी के बहाव क्षेत्र में पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोका गया है। जो Sustainable Sand Mining Management Guideline-2016, Enforcement & Monitoring Guideline for Sand Mining-2020 व संविदा / स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन है। जिसके सम्बंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.01.2025 से आपको सूचित किया जा चूका है।

आपके विरूद्ध दर्ज परिवाद, ऑरिजिनल एप्लीकेशन नं. 1145 / 2024 नीरज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.07.2025 को आदेश पारित किया गया। (प्रति संलग्न) जिसके मूख्य अंश निम्न प्रकार है–

"In view of precautionary principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010, respondent no.7 is restrained from carrying out any further mining from the mining lease or surrounding area and the District Magistrate and the Superintendent of Police, Kekri are directed to ensure that no mining takes place from the mining lease site or surrounding area till further order of this Tribunal to the contrary."

आपको सूचित किया जाता है कि आपके खनन पट्टा क्षेत्र में निकट ग्राम गुलगाव में नदी के बहाव क्षेत्र में डाले गये पत्थर / मलबा को हटाकर नदी के पानी के बहाव पूनः चालू किया जाना सूनिश्चित करावे। ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.07.2025 की पालना की जा सके।

अतः आपको जरिये इस चेतना–पत्र सूचित किया जाता है कि प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में उक्त पत्थर/मलबा हटाकर कार्यालय को सूचित करे। बाद समयावधि, उल्लघंनों के संबंध में आपके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

साथ ही माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में कोई भी निर्णय पारित किया जाता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सो सूचित रहे।

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियंता
सावर

नोटः– इस नोटिस का पूर्व मे जारी किसी नोटिस की क्रियान्वितिी पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

क्रमांकः समसंख्यक/202 - 204 दिनांकः– 14/08/2025

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सावर, जिला अजमेर।
3. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किशनगढ़ (राजस्थान) को जरिये ई–मेल– rorpcb.kishangarh@gmail.com प्रेषित है।

सहायक खनि अभियन्ता
सावर

राजस्थान– सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता,खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अजमेर वृत्त अजमेर।

क्रमांकः–अखअ / अज / सावर / ख.प.–05 / 2013 /

–:कार्यालय आदेश:–

खनन पटटा संख्या 05 / 2013 खनिज बजरी तहसील सावर व केकडी, जिला अजमेर में शासन के आदेश क्रमांक प.7(19)खान / ग्रुप–2 / 2013 जयपुर दिनांक 29.03.2023 से स्वीकृत किया गया जिसकी संविदा का निष्पादन दिनांक 30.03.2023 को तथा पंजीयन दिनांक 31.03.2023 को हुआ।

सहायक खनि अभियंता, सावर ने पत्र क्रमांक 219 दिनांक 11.09.2025 से अगवत कराया है कि खनन पटटा संख्या 05 / 2013 वास्ते खनिज बजरी तहसील केकडी जिला अजमेर का दिनांक 03.01.2025 को माननीय एनजीटी प्रिंसिपल ब ।कच दिल्ली के प्र.क. 1145 / 2024 के आदेश दिनांक 19.11.2024 की अनुपालना में गठित कमेठी द्वारा दिनांक 03.01.2025 को खनन पटटा संख्या 05 / 2013 वास्तेख ानिज बजरी तहसील केकडी जिला अजमेर का निरीक्षण किया। मैका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खनन पटटा क्षेत्र में निकट ग्राम गुलगांव में नदी के बहाव क्षेत्र में पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोका जाना पाया गया। उक्त के संबंध में पटटाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पटटेधारी को पत्र कमांक 355 दिनांक 08.01.2024 से 30 दिवसीय नोटिस जारी कर जरिये ई–मेल / पंजीकृत डाक प्रेषित किया गया, नोटिस की पलाना में पटटेधारी द्वारा नदी के बहाव क्षेत्र में से पत्थर हटाकर पानी के बहाव पुनः चालू किया जा चूका है।

अतः खनन पटटेधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र में वर्णित दोषों की निश्चित समयावधि पश्चात् पालना करने से निम्नानुसार से शास्ति आरोपित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये है। सहायक खनि अभियन्ता, सावर के प्रस्ताव अनुसार निम्न शारत्ती आरोपित की जाती है–

क्रसं.	उल्लघंन का विवरण	आरोपित शास्ती राशि
1.	नदी के बहाव क्षेत्र में पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोका जाना।	RMMCR, 2017 के पेनल्टी शिड्यूल–IV के कम संख्या–(13) के कॉलम संख्या–(5) में बिन्दु संख्या–(ii) के अनुसार पटटेधारी द्वारा नोटिस की पालना 45 दिवस पश्चात करने से खनन पटटे के डेडरेन्ट रूपये 82,05,600 / –की 25% के बराबर प्रतिभूति राशि 20,51,400 / –का 20% रूपये 4,10,280 / –अथवा 2,000 / –रूपये व अधिकतम 15,000 / – रूपये अर्थात 15,000 / –,रूपये।

(जय.के.गुरूबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
अजमेर वृत्त, अजमेर

क्रमांकः– सम /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सहायक खनि अभियन्ता, सावर को उनके पत्रांक 219 दिनांक 11.09.2025 के संदर्भ में।
2. श्री भरत सिंह शेखावत पुत्र श्री शिव दयाल सिंह शेखावत निवासी 336 मोहन नगर बी.जे.एस कॉलोनी, जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
अजमेर वृत्त अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Jai Kishan Gurbaxani
Designation : Superintending Mining Engineer
Date: 2025.09.16 16:35:40 IST
Reason: Approved

सेवामें,

श्रीमान सहायक खनिज अभियंता,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
सावर, जिला अजमेर (राजस्थान)

विषय :– खनन पटटा संख्या–5/2013 श्री भरत सिंह शेखावत, वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकडी, जिला अजमेर के खनन पटटा क्षेत्र में पत्थर डालकर बनाये गये रास्ते के संबंध में।

संदर्भ :– आपका नोटिस कमांक 201 दिनांक 14.08.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में स्थानीय मार्बल पटटावालों द्वारा मार्बल के वेस्टेज खनन पटटा क्षेत्र में डाल दिया था। जबकि खनन पटटा क्षेत्र में खनन कार्य 2017 से 2021 तक बंद होने के कारण खनन पटटा क्षेत्र को अवरूद्ध कर दिया था। अब हमारे द्वारा वेस्टेज मार्बल को हटाकर खनन पटटा क्षेत्र को सुचारू रूप से करवा दिया गया है तथा खनन पटटा क्षेत्र का सीमाज्ञान करवाकर पिल्लर भी लगा दिये गये है। नदी में पानी आवक अधिक होने के कारण जो पिल्लर टूट गये है, उनको पानी बहाव कम होने पर वापस लगा दिये जायेंगे।

अतः श्रीमान को नोटिस का जवाब सादर प्रस्तुत है।

भवदीय

दिनांक : 03/09/2025

प्रतिनिधि वास्ते
भरत सिंह शेखावत
एम0एल0–5/2013
खनिज बजरी, तहसील
केकडी, जिला अजमेर

CC (खनिज) 03/09/25

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 03/09/2025 को श्रीमान के निर्देशानुसार खनन पट्टा संख्या 05/2013 वास्ते खनिज बजरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में खारी नदी का मौका देखा गया। मौके पर खनन पट्टाधारक के प्रतिनिधि उपस्थित मिले। पूर्व की दिनांक 25/02/2025 में बताई रिपोर्ट अनुसार निकट ग्राम गुलगांव स्थित खारी नदी में पत्थर ब्लॉक/ ईंट पत्थर डालकर खारी नदी में कच्चा रास्ता होना बताया गया है। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त ब्लॉक/ ईंट पत्थर को मशीनों के द्वारा खारी नदी से हटाकर ब्लॉक/ ईंट पत्थरों को एक तरफ जमा दिया गया है। मौके पर वक्त निरीक्षण जांच की गई तो निकट ग्राम गुलगांव के पास खारी नदी में पानी का बहाव जारी है तथा नदी के एक तरफ ब्लॉक/ईंट पत्थर होना पाया गया। मौके पर नदी पेटा में किसी भी प्रकार का पानी का बहाव अवरुद्ध होना नहीं पाया गया। मौके पर खनन पट्टे के पिल्लर के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ पिल्लर मौके पर लगा दिये गये हैं तथा वर्तमान में बारिश होने से कुछ पिल्लरों को / शेष पिल्लरों को बरसात के मौसम के पश्चात् मौके पर नदी पेटा के दोनों ओर लगा दिये

390
3-9-25

P. T. O.

जायेंगे। मौका स्थिती अनुसार कुछ पिलर मौके पर लगे हुये पाये गये तथा बरसात के मौसम होने के कारण रास्तों में कीचड़ होने से वर्तमान में पिलर लगाया जाना सम्भव नही है। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधी को पाबन्द किया गया कि बारिश के मौसम के पश्चात [illegible] पेड़ के समान्तर पिलरो को मौके पर लगाकर दुरुस्त रखें। मौका रिपोर्ट बनाकर उपस्थित ने हस्ताक्षर किये।

[signature]
प्रतिनिधि
बजरी लीज धारक -केकड़ी
भरतसिंह शेखावत
ML No - 05/2013

[signature]
(SMFS)
(AME Sawar)
03/09/25

GPS Map Camera
Check In
Kekri, Rajasthan, India
, Rajasthan 305407, India, Kekri, Rajasthan 305407, India
Lat 25.821171° Long 75.203689°
28/08/2025 04:27 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Check In
Google
Kekri, Rajasthan, India
, Rajasthan 305407, India, Kekri,
Rajasthan 305407, India
Lat 25.820937° Long 75.203745°
28/08/2025 04:31 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Check In
Google
Kekri, Rajasthan, India
, Rajasthan 305407, India, Kekri,
Rajasthan 305407, India
Lat 25.820937° Long 75.203745°
28/08/2025 04:31 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Check In
Google
Kekri, Rajasthan, India
, Rajasthan 305407, India, Kekri, Rajasthan 305407, India
Lat 25.821084° Long 75.203723°
05/09/2025 07:25 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Check In
Google
Kekri, Rajasthan, India
, Rajasthan 305407, India, Kekri, Rajasthan 305407, India
Lat 25.82082° Long 75.203659°
05/09/2025 07:24 AM GMT +05:30

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहा. खनि अभियंता, मावल

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 08/4/2024 को तहसील आबूरोड़ में खनिज बजरी हेतु स्वीकृत खनन पट्टा सं. 05/2013 जोकि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष में स्वीकृत है के अन्तर्गत आने वाले गांव चंडेला तहसील मावल के मौके को देखा गया। मौके पर उक्त गांव चंडेला के नदी के खसरा न. 1966 मेंगू नदी के हल्का पटवारी के साथ देखा गया। मौके पर उपरोक्त नदी के खसरे में पानी भरा हुआ। मौके पर किसी भी प्रकार का बजरी का खनन होता नहीं मिला। मौके पर इसके अतिरिक्त अन्य किसी खसरो में बजरी का अवैध खनन किया हुआ नहीं मिला।

मौका रिपोर्ट सूचनार्थ पेश है।

Cl-1

9/4/24

M.H. Sawan

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहा० खनि अभियंता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 08/04/2024 को तहसील केकड़ी व सावर से अनुसरण में वाली खारी नदी के क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टा सं. 05/2013 वास्ते खनिज बजरी जो कि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष में स्वीकृत है के मौके पर ग्राम भाण्डावास व राजपुरा का मौका देखा गया।

मौके पर ग्राम भाण्डावास के खसरा सं. 01 व राजपुरा के खसरा सं. 01 में नदी का निरीक्षण हल्का पटवारी ~~भाण्डावास के~~ भाण्डावास के साथ राजस्व रेकार्ड अनुसार देखा।

C/T/ 9/4/24

मौके पर राजपुरा के ~~ख~~ नदी के खसरे में पास पुल पर डली हुई है व कुछ भाग में पानी भरा है। मौके पर बजरी के खनन के कुछ निशानात मिले। कोई खनन पिट 03m से ज्यादा गहराई का नहीं मिला। नदी के पास के खसरों में अवैध खनन नहीं मिला।

मौके पर भाण्डावास के नदी के खसरे में बजरी ~~का~~ खनन ~~चालू~~ चालू मिला जो कि नदी के बीच में हो रहा है। मौके पर खनन कार्य 03m से ज्यादा गहराई में नहीं किया जाता मिला। मौके पर बजरी का खनन नदी के खसरे से बाहर अन्य भूमियों में होता नहीं मिला।

मौका रिपोर्ट मुताबिक पेश है।

Laxman 8/04/24 प. राजपुरा

M.E.I. Sawar

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 08/2/2024 को तहसील केकड़ी व सावर से गुजरने वाली खारी नदी के क्षेत्र मे स्वीकृत खनन पट्टा सं. 05/2013 वास्ते खनिज बजरी जोकि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष मे स्वीकृत है के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम घुन्घटी के नदी के खसरो का मौका देखा गया।

मौके पर उक्त नदी क्षैत्र मे ग्राम घुघरी का खसरा सं 2962 का निरिक्षण हल्का पटवारी घुघरी के साथ किया गया। मौके पर उक्त खसरा सं. 2962 गैरमुमकिन नदी रकबा 83.93 है० मे घुम फिर कर निरिक्षण करने पर इसमे बजरी का खनन लीज क्षैत्र मे चालू मिला। मौके पर नदी क्षैत्र मे खनन के पिट बने हुऐ मिले जोकि 1.5m से 02m औसत गहराई मे है। मौके पर नदी के डोले पर बजरी खनन किया हुआ मिला जोकि मौका स्थिति अनुसार काफि पुराने है जिनमे घास फुस उगी हुई है। मौके पर नदी मे कुछ पिटो मे पानी भरा हुआ है व वाहनो के निकलने के लिये कच्चा रास्ता नदी मे बना हुआ है।

(हाशिये में: बजरी [illegible] 10/2/24)

मौका रिपोर्ट सूचनार्थ पेश है

Kalakm
पट० घुघरी

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहा. खनि अभियंता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/12/2024 को तह० केकड़ी व सावर मे खनिज बजरी हेतु स्वीकृत खनन पट्टा सं. 05/2013 जोकि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष मे स्वीकृत है के अन्तर्गत आने वाले ग्राम चांदथली, बाजटा तह० सावर का मौका देखा गया।

मौके पर ग्राम चांदथली के खसरा सं. 01 गैरमु. नदी व बाजटा खसरा सं. 1, 722, 1121, 1594 गैरमु. नदी को हल्का पटवारी के साथ मौका देखा। मौके पर चांदथली बजरी खसरे मे पानी भरा है। बाजटा के खसरा सं. 722, 1121, 1594 मे पानी भरा हुआ व, खसरा सं. 01 मे पानी नही है जिसमे ~~खनन~~ बजरी खनन का कार्य किया हुआ है। इस स्थान पर नदी के खसरो के अलावा बजरी का किसी अन्य खसरे मे खनन नही किया गया है।

9/12/24

मौका रिपोर्ट पेश है।

Bhuny
प. बाजटा

खनि प्रभारी

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहा. खनि अभियंता, सावर
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/2/2024 को तह० केकड़ी व सावर से होकर गुजरने वाली खारी नदी क्षेत्र मे स्वीकृत खनन पट्टा सं. 05/2013 वास्ते खनिज बजरी जोकि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष मे स्वीकृत है अन्तर्गत पड़ने वाले गांव देवपुरा, ~~[illegible]~~ कादेड़ा, अलामपुर मे नदी के खसरे को मौका हल्का पटवारी कादेड़ा के साथ देखा गया।

मौके पर उक्त नदी क्षेत्र मे ग्राम कादेड़ा के खसरा सं. 2646, आरा० गैर मु. नदी, अलामपुर के खसरा सं. 719/1044, 1031, 719 गैर मु. नदी, व देवपुरा के खसरा सं. 494/1051, 557/953, 808, 851, 857, 858, 860, 874, 902, 930 गैर मु. नदी का मौका देखा गया। मौके पर ग्राम अलामपुर के नदी के खसरे मे खनन योग्य नही मिला केवल पुराने खनन के पिट है जिसमे से बजरी निकाली गई है। ग्राम कादेड़ा के नदी के खसरे मे खनन योग्य नही मिला केवल पुराने खनन के पिट है। पास जिला शाहपुरा की तह० फुलियाँ कलाँ के बजरी खनन पट्टे मे खनन योग्य मिला जोकि नदी मे [illegible] है। मौके पर ग्राम देवपुरा के खसरा सं. 930 मे बजरी खनन के तथ्य विद्यमान मिले, कोई वाहन मशीनरी नही मिली। जिसमे ताजा बजरी खनन के 02 से 2.5m गहरे बजरी के खड्डे खुदे हुये मिले। उक्त स्थान से बजरी का परिवहन ग्राम मे होकर गांव की

CC-11
14/2/2024

850
14/2/24

सीमा के भोयर भूमि मे से होकर निकल रहा है। मौके पर
इसके अतिरिक्त देवापुरा गाँव के नदी के खसरे
मे लीजधारी द्वारा खनन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार
तीनों गांवों मे नदी के खसरे के अतिरिक्त अन्य किसी भी
भूमि, खसरे मे बजरी का खनन किया हुआ नहीं मिला।
मौके पर पटवारी के अनुसार देवापुरा नदीक खसरा सं. 130
व देवमण्ड. गांव की नदी का खसरा सं. 01 अंकित
करते है।

मौका रिपोर्ट साथ सूचनार्थ पेश है।

पटवारी
प० कोडड़ा

Mfg Sawn

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहा. खनि अभियंता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/2/2024 को तहसील केकड़ी व सावर से गुजरने वाली खारी नदी क्षेत्र मे स्वीकृत अल्पावधि सं. 05/2013 वास्ते बजरी जोकि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष मे स्वीकृत है के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँव सदारा व सपार्ड के खसरों का मौका देखा गया।

मौके पर निविदा स्थान सदारा के खसरा सं. 2703, 2703/2719, 2703/2720 व सपार्ड के खसरा सं. 1406 व 959 मौ.मु. नदी का मौका पटवारी सदारा के साथ देखा गया। मौके पर नदी क्षेत्र मे कोई खनन क्षेत्र नहीं मिला। मौके पर नदी क्षेत्र मे बबूल उगी हुई है। मौके पर बजरी खनन के कोई खड्डे नहीं मिले। मौके पर उक्त नदी के खसरे से बाहर अन्य खसरों मे बजरी का अवैध खनन किया हुआ नहीं मिला। मौके पर उक्त खसरे मे वर्तमान लीज धारी द्वारा खनन नहीं किया जा रहा है।

मौका रिपोर्ट वास्ते सूचनार्थ पेश है।

(margin note: हस्ताक्षर, 09/2/24)

(signature)
09/02/2024
प. सदारा

(signature)

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहा. खनि अभियंता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/12/2024 को टोरंकोवाडी व सावर से होकर गुजरने वाली खारी नदी क्षैत्र मे स्वीकृत खनन पट्टा सं. 05/2013 वास्ते खनिज बजरी जोकि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष मे स्वीकृत है के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँव टंकावास, देवखेड़ी, मेहरू कलां, बालापुरा, नयागांव मे नदी के खसरो का मौका देखने हेतु हल्का पटवारी के साथ मौका देखा गया।

मौके पर उक्त नदी क्षैत्र के ग्राम टंकावास खसरा सं. 01, देवखेड़ी खसरा सं. 01, 04, मेहरू कलां खसरा सं. 956, 957, 982, 3735, 713, बालापुरा खसरा सं. 312, 572, 929, नयागांव खसरा सं. 765, 1270, 766, 869 के खसरो मे नदी का मौका देखा गया। मौके पर ग्राम देवखेड़ी के उक्त खसरो मे बजरी का खनन नदी क्षैत्र मे होता पाया गया। मौके पर उक्त लिजधारी द्वारा खनन कार्य 2m-2.5m तक गहराई तक किया जा रहा है व वाहनो का रास्ता नदी क्षैत्र मे होकर बनाया हुआ है मौके पर टंकावास के उक्त नदी के खसरा मे खनन होना नही मिला व पुराने खनन के खड्डे नदी क्षैत्र मे है, उपरोक्त दोनो गाँवो मे नदी के खसरा के अलावा अन्य किसी खसरो मे बजरी खनन होना नही मिला।

मौके पर इसके पश्चात ग्राम मेहरूकलां, नयागांव, एवं बालापुरा के नदी के खसरो का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरो मे लीजधारी द्वारा बजरी का खनन नही किया जा रहा है। मौके उक्त स्थान पर नदी मे छोटे-2 पिट है जोकि लगभग!

सिंह

स्थानीय ग्रामीणो करने बजरी ले जाते है। मौके पर इसके अतिरिक्त नदी क्षेत्र मे घास फूस उगी हुई है। मौके पर नदी के खसरा के अतिरिक्त अन्य किसी खसरे मे बजरी का खनन होना नही मिला।

मौका रिपोर्ट बाबत सूचनार्थ पेश है।

[illegible]

[illegible]

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहा० खनि अभियंता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/2/2024 को तहसील केकड़ी व सावर से गुजरने वाली खारी नदी में स्वीकृत खननपट्टा सं० 05/2013 वास्ते खनिज बजरी जोकि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष में स्वीकृत है के अन्तर्गत आने वाले गाँव गुलगांव के नदी के खसरे का मौका देखा गया।

मौके पर उपरोक्त गाँव गुलगांव के खसरा सं. 2726 जो कि नदी को हल्का पटवारी के साथ देखा गया। मौके पर उक्त खसरे में वर्तमान में बजरी का खनन नहीं हो रहा है। वर्तमान में खनन गाँव की सीमा पर [illegible] के लीज एरिया में हो रहा है। मौके पर उक्त खसरे में पुराने खनन पिट है जोकि लगभग 1.5m से 02m तक गहराई में है। मौके पर उक्त खसरे के अतिरिक्त अन्य किसी खसरों में बजरी का अवैध खनन किया हुआ नहीं मिला।

14/2/2024

मौके पर उक्त नदी के खसरो में दो [illegible] में से कच्चा रास्ते बजरी के वाहनों के लिये बनाया हुआ है।

मौका रिपोर्ट वास्ते सूचनार्थ पेश है।

849
14/2/24

Mukesh
प० गुलगांव

M. [illegible]

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 26/08/2025 को तहसील केकड़ी एवं सावर से गुजरने वाली खारी नदी में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 05/2013 वास्ते बजरी जो कि श्री भरत सिंह शेखावत के नाम में स्वीकृत है, के अन्तर्गत आने वाले गांव गुलगांव के नदी क्षेत्र का मौका देखा गया। मौके पर गुलगांव स्थित खारी नदी में रोड ब्लॉक/छोटे पत्थर एक पंक्ति में पाये गये जिनसे पानी का बहाव अवरुद्ध होना पाया। मौके पर नदी क्षेत्र में LNT व JCB मशीन द्वारा उक्त रोड ब्लॉक/छोटे पत्थर को हटाया जाना पाया गया। खनन पट्टाधारी के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया कि उक्त अवरुद्ध हुए बहाव में नदी क्षेत्र में ब्लॉक/पत्थर को हटाकर पानी के बहाव को सही किया जा रहा है। मौके पर उक्त नदी क्षेत्र में स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य होना पाया गया। कुछ स्थानों पर स्वीकृत खनन क्षेत्र में 1.5-2 मी. के गड्ढे दिख गये जिनमें बजरी खनन किया गया है। मौके पर स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अवैध खनन नहीं मिला। नदी क्षेत्र में बजरी को बहने के लिये रास्ता रास्ता बनाया हुआ है। मौका रिपोर्ट श्रीमान को प्रेषित है।

[illegible signature]
SME 26/8/25
(ME Sawar)

राजस्थान 640 सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 04/09/2025 को ग्राम पंचायत सरपंच "नीरज चौधरी द्वारा दी गयी विषयांकित शिकायत " अवैध खनन परिवहन व पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के सम्बन्ध में " के क्रम में तहसील केकड़ी एवं सावर से होकर गुजरने वाली खारी नदी क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 05/2013 वास्ते खनिज बजरी जो कि श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष में स्वीकृत है, का मौका देखा गया।

अतः शिकायत के क्रम में जांच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है!-

(1) खनन पट्टाधारी द्वारा विभाग द्वारा जारी खनन पट्टा 05/2013 के स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य किया गया है। वक्त निरीक्षण मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन होना नहीं पाया गया। मौके पर वक्त निरीक्षण देवखेड़ी ग्राम में 1.5-2 मी. गड्ढे पाये गये कुछ स्थानों पर देखे गये तथा कुछ गांव जहां खनिज बजरी का खनन पट्टा स्वीकृत है 1-1.5 मी गहराई तक ही गड्ढे देखे गये। मौके पर खनन पट्टाधारी द्वारा वक्त निरीक्षण तय सीमा से अधिक गहराई के गड्ढे नहीं पाये गये।

(2) खनन पट्टाधारी द्वारा वर्तमान में खनिज बजरी के निर्गमन हेतु गुमगांव, देवपुरा एवं मेहरूकलां TP point जारी किये हुये है।

P.T.O.

तथा उक्त TP point से ही खनिज बजरी का निर्गमन किया जा रहा है। वक्त निरीक्षण कुछ खनिज बजरी भरे वाहनों को रोककर चैक करने पर बजरी भरे वाहनों का अस्तित्व रोयल्टी रसीद के रूप में जारी खनन पट्टा 05/2013 के TP point से TP काटकर ही निर्गमन होना पाया गया।

(3) वर्तमान में नदी पेटे में खनन कार्य बन्द है तथा खनन पट्टाधारी द्वारा TP point से TP काटकर खनिज बजरी का निर्गमन किया जा रहा है। वक्त निरीक्षण वाहनों को रोककर चैक करने पर कोई भी वाहन overload होना नहीं पाया गया।

(4) मौके पर उपस्थित प्रतिनिधी ने बताया कि हमारे द्वारा नदी पेटे से TP point पर stock किया जाता है तथा stock point से ही TP/रवन्ना काटकर ही निर्गमन किया जाता है। हमारा उक्त कुल खर्चा लगभग (350-400) रू. आता है जिसमें नदी पेटे से TP point पर stock करना, खुदाई शुल्क, भराई शुल्क एवं सरकार द्वारा निर्धारित (रोयल्टी शुल्क, DMFT एवं RSMET) शामिल है तथा 150-200 रू. मुनाफा कमाकर खनिज बजरी का निर्गमन किया जाता है। उक्त मुनाफे में भी labour खर्चा एवं GST शामिल है। इस तरह खनिज बजरी का परिवहन हेतु 600 रू. टन के लेकर खनिज बजरी का निर्गमन किया जाता है।

खनन पट्टाधारी के प्रतिनिधी ने बताया कि वर्तमान में हमारे द्वारा [illegible] ग्राम जसवन्तपुरा, आलोली, सावर, मेहर-कला, आदि गांवो के सरकारी स्कूलो, सार्वजनिक स्थानो एवं चरागाह भूमि

पर वृक्षारोपण किया गया है तथा समय-समय पर उनकी देखभाल भी की जाती है तथा अन्य स्थानों पर भी वृक्षारोपण किये जा रहे हैं। वक्त निरीक्षण खनन पट्टाधारी द्वारा बताये गये स्थानों पर वृक्षारोपण होना पाया गया।

मौका रिपोर्ट बनाकर उपस्थित प्रतिनिधी के हस्ताक्षर करवाये गये।

प्रतिनिधि
भरत सिंह शेखावत
(बजरी लीज धारक केमरी)
ML.NO - 05/2013

कनिष्ठ
SME 04/09/25
(AME Sawar)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 23/6/25 को खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन / स्टॉक की कार्यवाही हेतु तहसील सावर एवं केकड़ी के आसपास चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान निम्न वाहनों को रोककर चैक किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	वाहन नं.	TP/रवन्ना नं.	वाहन में भरे खनिज की मात्रा
(1)	ट्रेलर	RJ11GB2854	VFIX1036028059	33.37 MT
(2)	ट्रेलर	RJ14GR7553	VFIX1036028100	37.07 MT
(3)	ट्रेलर	RJ37GB1237	VFIX1036028117	30.7 MT
(4)	ट्रेलर	RJ14GK6260	VFIX1036028187	33.09 MT
(5)	ट्रेलर	RJ32GB8218	VFIX1036028252	35.38 MT

उपरोक्त सभी वाहनों में भरे खनिज बजरी की मात्रा का परिवहन खनन पट्टाधारी की जारी किये ई-रवन्ना के पक्ष में खनन पट्टे से किया जा रहा है। उक्त सभी वाहन चैक करने पर खनिज बजरी का परिवहन सही पाया गया। कोई भी वाहन over load नहीं पाया गया। मौका रिपोर्ट मौके पर ही पेश है।

[signature]

SAIF 23/6/25

(Amit Sain)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सांभर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 30/6/25 को खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक की कार्यवाही हेतु तहसील सांभर एवं कुकड़ी के आसपास चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान निम्न वाहनो को रोककर चैक किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	वाहन का प्रकार	वाहन नं.	TP/रवन्ना नं	खनिज का वजन
(1)	ट्रेलर	RJ14GT5571	VFIX1036109186	36.25 MT
(2)	ट्रेलर	RJ52GA4953	VFIX1036109301	36.23 MT
(3)	ट्रेलर	RJ41GA7789	VFIX1036109323	37.56 MT
(4)	ट्रेलर	RJ20GC4986	VFIX1036109694	39.26 MT
(5)	ट्रेलर	RJ14GR0842	VFIX1036109703	36.89 MT

उपरोक्त सभी वाहनो में भरे खनिज बजरी का परिवहन खनन पट्टाधारी श्री भरत सिंह शेखावत के वैध रवन्ना/टी.पी से किया जाना पाया। वक्त निरीक्षण कोई भी वाहन overload नहीं पाया गया। तथा कोई भी वाहन बिना वैध दस्तावेज के परिवहन करता नहीं पाया। मौका रिपोर्ट श्रीमान को पेश है।

[signature]
SMF 30/6/25
([illegible])

VAKALATNAMA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1145/2024

IN THE MATTER OF:

Neeraj Choudhary ...**Applicant**

Versus

State of Rajasthan & Ors. ...**Respondents**

know All whom these presents shall come that I, **Mr. J.K. Gurbaxani**, aged about 56 years, at present working as Superintending Mining Engineer, Sawar district, Ajmer, Rajasthan and **Officer in Charge (OIC)** for **Respondent No. 2**, Director Mining and Geology, Rajasthan, and **Respondent No. 3**, District Magistrate, Kekri, Rajasthan do hereby appoint:

Prachi Mishra (D/2176/1999), Chaitanya (D/2594/2015); Archita Yadav (D/6295/2024)
C-45, Nizamuddin East, IInd Floor, New Delhi-110013
Ph: +91 9818488187, +91 8800269661, +91 8077139708, +91 8630034654

hereinafter called the Advocate/s to be my/our Advocate/s in the abovementioned Original Application and authorize him/them:

To act, appear and plead in the above noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the Appellate Court.

To sign, file, verify and present pleadings, applications, appeals, cross-objections, or Petitions for execution, review, revision, withdrawal, compromise or other petitions replies, objections affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To deposit, draw and receive monies, cheques and grant receipts therefore and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may thing fit to do so and to sign the power of attorney on my/our behalf.

And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matters as if done by me/us to all intents and purposes.

And I/we the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the Court when the said case is called up for hearing, or for, any negligence of the said Advocate or his substitute.

And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us this 01st day of September, 2025.

Accepted and Identified:

ADVOCATES

(J.K. GURBAXANI)
SME, Ajmer
(जय.के. गुरुबक्षाणी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर वृत्त, अजमेर